

NOC LETTER

Registration no (22213082021924130201) Date (0) Valid till (0)



जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | BEGUSARAI
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना



कक्षा - 1473

प्रमाण पत्र दिनांक - 01.07.2022

सेवा में

मुख्य / व्यवस्थापक / प्रबंधक

ST JOSEPH ACADEMY

RAGHUNANDANPUR

विषय - बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education - RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महोदय

आपके आवेदन पर दिनांक 24-09-2021 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिला सार्वीय प्रिसदस्थीय समिति के बैठक दिनांक 08 में किये गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय ST JOSEPH ACADEMY, RAGHUNANDANPUR, RAGHUNANDANPUR, 851133 को कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्षों से 24-9-2024 अवधि के लिए औपचारिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदान प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कठिना 3 में उल्लिखित बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालन करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।

Manager

Principal
ST JOSEPH ACADEMY
Raghunandanpur, Teghra,

NO. 11111

(यह विद्यालय किसी भी तरह पर किसी भी प्रकार की शिक्षण सामग्री से सज्ज नहीं होगा।)

- 8. विद्यालय में 2 सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक का अनुपालन करेगा।
- 9. विद्यालय अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के अलावा में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपलब्ध रूप से छात्रों का सम्बन्ध करेगा।
- 10. विद्यालय अधिनियम की धारा 15 में उद्घुष्ट भवनको एवं मानदंडों को सरकार रखेगा। विद्यालय के अधिनियम के साथ उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्न:-

- (a) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल - 6768 20 डिग्नियत
- (b) कुल निर्मित क्षेत्र - 6768 20 डिग्नियत
- (c) खेल के मैदान का क्षेत्र - COMPUTER LAB, PHYSICS LAB, CHEMISTRY LAB, BIO LAB, MATHS LAB, LIBRARY, SMART CLASS, BOARD GAME S, MUSIC PARKING, PLAY GROUND
- (d) दर्ज कक्षाओं की कुल संख्या - 18
- (e) प्रधानाचार्यक सह कार्यालय सह भग्गार कक्ष - 1
- (f) बालक तथा बालिकाओं के लिये अलग अलग शौचालय - Indian, Boys - 10, Girls 11
- (g) घेपजत की सुविधा - 16
- (h) मायक भोजन के लिये रसोई घर - 1
- (i) कपडारहित धुँच [] -
- (j) शिक्षण अधिनियम समग्री खेल कुद उपकरण पुस्तकालय :- CHALK, MARKER, PEN, DUSTER, BLACK BOARD, WHITE BOARD, K V AIDS, FLYING DISK, VOLLEY BALL, FOOT BALL, BADMINTON, BAT BALL, LUDO, CHESS, CAROM BOARD, (Y - 793, NewsPaper MegaZine - 23)

- 11. कोई भी अपस्वीकृत वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
- 12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
- 13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्धारित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
- 14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के सह अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
- 15. लेखा का अकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के अलाके में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिता शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।
- 16. आपके विद्यालय को आवटित प्रस्वीकृति कोड संख्या [22213082021924130203, 2021] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्घृत किया जाए।
- 17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिता शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समाप "मॉग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के तगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
- 18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
- 19. अनुलग्नक III के रूप में सतप्र अन्य शर्तें

(Signature)

Principal
ST. JOSEPH ACADEMY
 Raghunandanpur, Teghra,
 Begusarai-851133
 Affiliation Code : 330733
 School Code : 65731

(Signature)
 दिनांक 2
 Ho 1-